भारत सरकार
पोत परिवहन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3098 जिसका उत्तर
गुरूवार, 11 जुलाई, 2019/20 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है

नदी पत्तन निर्माण कार्य का पूरा होना

3098. श्रीमती प्रतिमा भौमिक:

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा के सोनामुरा में गोमती नदी पर नदी पत्तन के निर्माण कार्य के पूरा होने की कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या कोई ऐसी योजना बनी है जिसमें सोनामुरा नदी पत्तन से बांग्लादेश की नदी प्रणाली के माध्यम से मालवाहक जहाज की आवाजाही शुरू हो सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) त्रिपुरा के सोनामुरा में अंतर्देशीय जल टर्मिनल स्थापित करने के लिए कोई समयसीमा नियत नहीं की गई है क्योंकि बांग्लादेश में गोमति नदी का वह जलखंड, जिस पर पोत परिवहन एवं नौचालन प्रस्तावित है, अभी भारत-बांग्लादेश प्रोटोकोल मार्ग का भाग नहीं बना है। अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकोल संबंधी स्थायी समिति (पीआईडब्ल्यूटी एवं टी) की 19वीं बैठक तथा अक्तूबर, 2018 में हुए भारत और बांग्लादेश के पोत परिवहन सचिवों के स्तर के संवाद में लिए गए निर्णय के अनुसार भारत और बांग्लादेश के अधिकारियों को शामिल करते हुए गठित एक संयुक्त तकनीकी समिति (जेटीटी) ने हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शुरू किया और गोमति नदी के भारत एवं बांग्लादेश के जलखंड पर नौचालन की व्यावहारिकता के संबंध में सकारात्मक रिपोर्ट दी। तथापि, बांग्लादेश (मेघना) की नदी प्रणाली के माध्यम से नौचालन के लिए जलमार्ग का विकास करने से पहले, यह निर्णय लिया गया कि सोनामुरा-दाउदखंडी मार्ग को भारत एवं बांग्लादेश के बीच प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में घोषित करने के लिए बांग्लादेश से अनुमोदन मांगा जाए। विदेश मंत्रालय के माध्यम से बांग्लादेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करें।

*****